सूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२६)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

आपूर्ति अपील सं०– 55/2011

सुदर्शन सिंह

बनाम

सरकार (मार्फत अनु० पदा,मढौरा,सारण)

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
30.04.2015	यह वाद अनुमंडल पदाधिकारी, मढौरा के आदेश ज्ञापांक 198, दिनांक 13.01.2011 के विरूद्ध दाखिल है। उक्त वाद का संक्षिप्त इतिहास यह है कि दिनांक 08.12.2010 को पूर्वाहन 11:55 बजे सुदर्शन सिंह, ज०वि०प्र०वि, अनु सं०–52/2007,सा०–विशुनपुरा, पंचायत–खजुरी, थाना–मशरक, प्रखंड–मशरक की दूकान की जांच अनुमंडल स्तरीय गठित जांच दल (कार्यापालक दण्डाधिकारी, मढौरा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, पानापुर) के द्वारा की गई। जांच के क्रम में निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई– (1) निरीक्षण के समय वितरण अवधि में दुकान बंद पाई गई तथा विक्रेता दुकान से अनुपस्थित थे। (2) दुकान से संबंधित सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका प्रदर्शन पट्ट समुचित रूप से संधारित नही था। (3) विक्रेता की अनुपस्थिति के कारण स्टॉक पंजी/ वितरण पंजी इत्यादि की जांच नही की जा सकी तथा मांगने पर भी विक्रेता के धर के अन्य सदस्यों के द्वारा उपरोक्त कागज जांच हेतु प्रस्तुत नही किया गया। (4) विक्रेता के धर के अन्य सदस्य के द्वारा भंडारण के निरीक्षण हेतु भंडार खोलकर नही दिखाया गया। उक्त अनिमितताओं के लिए अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुज्ञापन पदाधिकारी, मढौरा के ज्ञापांक 3642, दिनांक 24.12.2010 के द्वारा विक्रेता से	

कारण–पृच्छा किया गया जिसके प्रसंग में विक्रेता के द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत किया गया। विक्रेता से प्राप्त जवाब को असंतोषजनक पाकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया, जिसके विरूद्ध यह अपील वाद लाया गया है।

अपीलार्थी अपने विज्ञ अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। सुनवाई की गई। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि दिनांक 08.12.2010 को विक्रेता जनवरी 2011के खाद्यान्न का डाफ्ट बनवाने पंजाब नेशनल बैक,तरैया चले गये थे, फिर भी उनकी दुकान खुली हुई थी। उनका लड़का शैलेश कुमार सिंह दुकान पर उपस्थित था। जांच दल को उसके द्वारा पूर्ण सहयोग किया गया। भंडार पंजी एवं भंडार दिखाया गया। प्रतिदिन समय से विक्रेता अपनी दुकान खोलता एवं बंद करता है। जांच कार्य में असहयोग करने के लिए उसके द्वारा जान बुझ कर दुकान से अनुपस्थित नही था। विक्रेता के द्वारा जांच की तिथि को सूचना पट्ट एवं मूल्य तालिका संधारित किया गया था। विक्रेता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनुदानित सामग्री का उठाव एवं वितरण नियमित रूप से किया जाता है। इनकी दूकान का सभी कागजात अद्यतन है, जिसकी प्रति अपने जवाब के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया गया था, जिसका सम्यक परिसीलन किए बिना अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा विक्रेता की अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया। जांच के कम में कोई भी प्रतिकूल बिन्दु यदि पाया जाता है तो यह आवश्यक है कि उसके संबंध में कारण पृच्छा किया जाए, न कि उसे आधार बनाकर कठोर आदेश पारित कर दिया जाए। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अनुरोध किया गया कि प्राकृनिक न्याय की दृष्टि से विक्रेता के अपील आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

विज्ञ सरकारी अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि अपीलकर्ता के द्वारा विभागीय दिशा निदेश के आलोक में अनियमतता बरती गई है। अतः अपीलार्थी के आवेदन को अस्वीकृत करना उचित प्रतीत होता है।

उक्त पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलन के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा निर्गत प्रश्नगत आदेश (ज्ञापांक 198, दिनांक 13.01.2011) में अंकित किया गया है कि विक्रेता से प्राप्त कागजातों की जांच के कम में विक्रेता के विरूद्ध कई गंभीर अनियमतताए पाई गई, जिसे आधार बनाकर यह आदेश पारित किया गया। प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से यह आवश्यक था कि इन अनियमतताओं के संबंध में विक्रेता से पूरक कारण पृच्छा किया जाता एवं प्राप्त जवाब के आलोक में आवश्यक

कार्रवाई की जाती, लेकिन अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा ऐसा नहीं किया गया। अतः अनुज्ञापन पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश को Set aside करते हुए इस निदेश के साथ अभिलेख को Remand किया जाता है कि विक्रेता से पुनः सभी प्रासंगिक बिन्दुओ पर कारण पृच्छा किया जाए, उन्हे सुनवाई का एक मौका दिया जाए, एवं प्राप्त जवाब के आलोक में अभिलेख प्राप्ति के चार सप्ताह के अंदर एक बिधिसम्मत मुखर आदेश पारित करना सुनिश्चित किया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

30/04/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 287 /न्यायालय, दिनांक 02/05/15

प्रतिलिपि - SDO, मढ़ौरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि - DIO, NIC, सारण को उक्त आदेश को जिले के website पर upload करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा, सारण
2/5/15